

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.कं.-969 / 2011
संस्थित दिनांक-15.12.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1. सुमेरसिंह पिता इन्दलसिंह उइके, उम्र 23 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम पौनी, थाना-मलाजखंड, जिला-बालाघाट(म.प्र.)
 हाल मुकाम-मोहबट्टा थाना बैहर जिला-बालाघाट(म.प्र.)
2. शंकर पिता चमरुसिंह तिलगाम, उम्र 21 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम नेवरगांव थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

----- आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-28/08/2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-27/11/2011 की रात 1:00 बजे स्थान माईन्स ताम्र परियोजना स्क्रेप यार्ड थाना मलाजखंड अंतर्गत एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में ताम्र परियोजना मलाजखंड का डाटा सायल, सॉकेट वाल पाईप, डोजर टोपी, चैन स्लेट, पानी पाईप बड़े-छोटे, डोजर मशीन प्लेट एवं रूल पट्टी तथा अन्य लोहा सामान एवं एक नग पाईप मोटा एक फीट गोलाई, लम्बाई करीब सात फीट, जुमला करीब चार से पांच क्विंटल वजनी, कीमती 9 से 10 हजार रुपये को पिकअप वाहन में डालकर, ताम्र परियोजना मलाजखंड की सम्मति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक-27/11/2011 की रात 1:00 बजे स्थान माईन्स ताम्र परियोजना स्क्रेप यार्ड थाना मलाजखंड अंतर्गत ताम्र परियोजना मलाजखंड के सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रेमराज मीणा ने थाना मलाजखंड में रिपोर्ट लेख करवाया कि आरोपीगण ने ताम्र परियोजना मलाजखंड में रखे लोहे के सामान को चोरी कर पिकअप वाहन में भरकर ले गये। फरियादी प्रेमराज मीणा की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मलाजखंड में आरोपीगण के

विरुद्ध अपराध क्रमांक-93/2013 अंतर्गत धारा-379 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर उनके मेमोरेण्डम के आधार पर संपत्ति जप्त की गई, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-27/11/2011 की रात 1:00 बजे स्थान माईन्स ताम्र परियोजना स्क्रेप यार्ड थाना मलाजखंड अंतर्गत एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में ताम्र परियोजना मलाजखंड का डाटा सायल, सॉकेट वाल पाईप, डोजर टोपी, चैन स्लेट, पानी पाईप बड़े-छोटे, डोजर मशीन प्लेट एवं रूल पट्टी तथा अन्य लोहा सामान एवं एक नग पाईप मोटा एक फीट गोलाई, लम्बाई करीब सात फीट, जुमला करीब चार से पांच क्विंटल वजनी, कीमती 9 से 10 हजार रुपये को पिकअप वाहन में डालकर, ताम्र परियोजना मलाजखंड की सम्मति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष:-

5- फरियादी प्रेमराज मीणा (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना के समय उसने दोनों आरोपीगण को देखा था। घटना दिनांक-26-27 नवम्बर 2011 की रात्रि 1:00 बजे की है। उक्त दिनांक को उसे हरिराम केवट ने सूचना दी थी कि स्क्रेप यार्ड के पीछे की तरफ से गाड़ी में लोहा भरने की आवाज आ रही है, तब वह, हरिराम के साथ घटना स्थल पर पहुंचा और टार्च मारकर देखा कि वहाँ एक मिनी ट्रक साईं ट्रांसपोर्ट का खड़ा था, उसके पास दो व्यक्ति आरोपी सुमेरसिंह और शंकर खड़े थे। टार्च मारने पर दोनों गाड़ी लेकर भाग गये। उसके द्वारा सामान चेक किया गया तो पाया कि डोजर की टोपी, सावल का सामान, प्लेटे, डोजर, प्लेजेट, एक पानी का मोटा पाईप करीब एक फिट गोलाई वाला एवं अन्य लोहे का सामान नहीं था। उसने ऐसा अनुमान है कि उक्त सामान आरोपीगण ने ही ले गये होंगे। उसके द्वारा रात्रि में 3:00 बजे थाना मलाजखंड में सूचना दी गई थी। सुबह एफ.आई.आर. हो गई थी। उसी समय उसने एफ.आई.आर. में हस्ताक्षर किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्तशुदा माल की पहचानकर बताया था, कि सामान स्क्रेप यार्ड का है, जप्ती माल

पहचान पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तमाल का वजन उसके समक्ष हुआ था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पहचान कार्यवाही थाना मलाजखंड में पुलिस की अनुपस्थिति में जानकी प्रसाद व हरिराम से करवायी थी।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि साक्षी हरिराम केवट उसका अधिनस्थ कर्मचारी है, उसके तथा हरिराम की पदस्थापना के संबंध में पुलिस को कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी सुमेरसिंह को वह पहले से इस कारण पहचानता है, क्योंकि उनकी कम्पनी में वह सामान लेकर आता-जाता है तथा आरोपी शंकर को पहले से ही जानता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्त माल का पंचनामा उसने पढ़कर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह कथन किया है कि वह थाना मलाजखंड रिपोर्ट लिखाने गया था, तब जप्त माल की पहचान कार्यवाही उसने करवाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट के बाद जप्त सामान की पहचान कार्यवाही नहीं करवाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पहचान पंचनामा प्रदर्श पी-3 में दिनांक एवं समय गलत लिखा है, जिसका वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक-09.12.2011 को उसके समक्ष कोई सामान जप्त नहीं किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का इस बारे में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है कि उसने घटना दिनांक को ही आरोपीगण के द्वारा मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट के स्क्रेप यार्ड से उक्त कम्पनी के आधिपत्य का सामान चोरी करते हुए देखा था। इस प्रकार साक्षी के इस कथन का खण्डन नहीं हुआ है कि मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट के स्क्रेप यार्ड से उपरोक्त सामान चोरी हुआ था और उक्त चोरी के समय आरोपीगण गाड़ी लेकर फरार हो गये थे।

7— हरिराम केवट (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि उसकी दिनांक-26.11.2011 को एच.सी.एल. मलाजखंड स्क्रेप यार्ड में मजदूरी की ड्यूटी थी। उक्त दिनांक को एक वाहन एच.सी.एल. रोड पर खड़ा था, जो स्क्रेप यार्ड से सामान भर रहा था, जिसकी सूचना उसने प्रेमराज मीणा को दी थी। सूचना देने के बाद वह स्क्रेप यार्ड में वापस आ गया था, वहां कोई वाहन नहीं था और न ही कोई व्यक्ति थे। वह आरोपीगण को नहीं जानता। घटना के समय भी उसने आरोपीगण को नहीं देखा था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने उससे केवल हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उससे जप्ती माल की पहचान कार्यवाही नहीं करवायी थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसने गाड़ी में यार्ड का पुराना लोहा भरते हुए देखा था और फरियादी के द्वारा टार्च से देखने पर उसे भी दो व्यक्ति दिखे थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय मौके पर किसी आरोपीगण को नहीं देखा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि फरियादी प्रेमराज मीणा के द्वारा टार्च से देखने पर

उसे कोई नहीं दिखा था, सब लोग मौके से भाग गये थे। साक्षी ने उसके सामने जप्त सामान की पहचान एवं शिनाख्ती कार्यवाही से इंकार किया है। साक्षी के कथन इस संबंध में खण्डित नहीं हुए हैं कि घटना के समय स्क्रेप यार्ड से कुछ व्यक्ति ने गाड़ी में सामान भरकर ले गये थे। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट के स्क्रेप यार्ड से कम्पनी के आधिपत्य से सामान चोरी होने का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया गया है।

8— जानकी प्रसाद (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। वह फरियादी प्रेमराज को जानता है। घटना करीब दो माह पूर्व की है। वह ताम्र परियोजना मलाजखंड में सुरक्षागार्ड के पद पर कार्यरत है। उसे पुलिस थाना मलाजखंड में पुलिस द्वारा बुलाया गया था, पुलिस ने बताया था कि माल पकड़े हैं, जिसमें लोहे की प्लेट, टोपी, पाईप था। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसके सामने फरियादी प्रेमराज ने अपने माल की पहचान किया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने जप्तशुदा माल के वजन का पंचनामा नहीं बनाया गया था। वजन पंचनामा प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी द्वारा पहचान कार्यवाही थाना मलाजखंड में की गई थी। साक्षी के द्वारा मुख्य रूप से फरियादी प्रेमराज की शिनाख्ती के आधार पर जप्तशुदा माल की पहचान कार्यवाही किये जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया गया है।

9— शंकरसिंह हिरवाने (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपी आरोपीगण ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो उसने थाने में किया था। उसके समक्ष आरोपी सुमेरसिंह से कोई सामान जप्त नहीं हुआ था, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को सुबह वह जब सामान लेने दुर्ग राजनांदगांव जा रहा था तो सालेटेकरी के पास एक गाड़ी खड़ी थी, जिसका चक्का निकला हुआ था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर थाने में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— जप्तशुदा पिकअप वाहन के मालिक दौलत वर्मा (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पिकअप वाहन क्रमांक-सी.जी.04/जे.वी.1976 उसके स्वामित्व का वाहन है। वह आरोपीगण को पहचानता है, जो उसके घर पर काम करते हैं। दिनांक-26.11.2011 को उसने उक्त पिकअप वाहन आरोपी सुमेर को दिया था, जो

उसके घर पर पिकअप वाहन में ड्रायवरी का काम करता था एवं आरोपी शंकर पिकअप वाहन में हेल्परी का काम करता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक-26.11.2011 को आरोपी शंकर वाहन की हेल्परी का काम करने आया था या नहीं। उसे दिनांक-27.11.2011 को मलाजखंड पुलिस ने सूचना दी थी कि उक्त पिकअप वाहन में चोरी का सामान रखा हुआ है एवं आरोपी सुमेरसिंह तथा शंकर को पकड़े है। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार कि जब वह अपने वाहन को देखने गया तो उसमें कोई सामान नहीं था। इस साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में तथ्य का समर्थन किया गया है कि घटना के समय आरोपी सुमेर पिकअप वाहन में ड्रायवरी एवं आरोपी शंकर पिकअप वाहन में हेल्परी का काम करता था। इस साक्षी का आरोपीगण से हितबद्ध होने के कारण अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं करने के बावजूद भी साक्षी के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय जिस वाहन में चोरी का सामान ले जाते हुए आरोपीगण को पकड़ा गया था, उक्त वाहन का स्वामी होते हुए साक्षी ने आरोपीगण को वाहन के चालक एवं हेल्पर के रूप में नियुक्त किया था।

11— तुलसीराम (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी सुमेर एवं शंकर को पहचानता है। घटना करीब ढेड वर्ष पुरानी, सालेटेकरी के पास की है। आरोपी सुमेर अपने पिकअप वाहन में कबाड़ का लोहा ले जा रहा था। रास्ते में उक्त वाहन का गुल्लक टूट गया था। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो आरोपीगण को पकड़े थे। उसके सामने पुलिसवालों ने आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की थी। मेमोरेण्डम कार्यवाही प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सुमेर से पिकअप वाहन और सामान जप्त किया था, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर मेमोरेण्डम कार्यवाही अनुसार आरोपीगण द्वारा मलाजखंड से लोहा चोरी करके गाड़ी में लादने वाले तथ्य से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने क्या जप्त हुआ, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के द्वारा जप्ती एवं मेमोरेण्डम की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है, किन्तु साक्षी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य का समर्थन किया है कि उसके सामने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप वाहन में कबाड़ का लोहा ले जाते हुए आरोपीगण को रंगे हाथ पकड़ा था। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य का खण्डन में साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

12— रामकिशोर (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 27.11.2011 को मलाजखण्ड थाना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने फरियादी प्रेमराज मीणा की सूचना पर आरोपी सुमेरसिंह के विरुद्ध अपराध

क्रमांक-93/2011, धारा-279 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में फरियादी प्रेमराज मीणा के बताये अनुसार प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

13- अनुसंधानकर्ता अधिकारी जैनेन्द्र उपराड़े (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-27.01.2011 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-93/2011, धारा-379 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा प्रार्थी प्रेमराज मीणा की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था तथा कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था। उसके द्वारा आरोपी सुमेरसिंह को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 साक्षियों के समक्ष लेख किया गया था, जिसमें उसने चोरी का माल गडई ले जाते समय गुल्लक टूटने से सालेटेकरी के पास गाड़ी खड़ी करना बताया था तथा माल गाड़ी में है चलो निकाल कर देता हूं का कथन किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी शंकर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-7 लेख किया था, जिसमें उसने बताया था कि जब गाड़ी में माल भरकर बेचने ले जा रहे थे तो रास्ते में सालेटेकरी के पास गाड़ी का गल्ला टूट गया था, माल गाड़ी में भरा रखा है, चलो चलकर निकालकर देता हूं का कथन किया था। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-6 एवं मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-7 पर उसके तथा आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुमेरसिंह से सालेटेकरी के पास जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-8 दर्शित अनुसार पिकअप वाहन में भरा हुआ माल, जिसमें पाईप एवं लोहे का सामान था, जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-9 एवं प्रदर्श पी-10 तैयार किया गया था। उसके द्वारा दिनांक-09.12.2011 को उक्त माल की विधिवत् पहचान कार्यवाही करवायी गई थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-3 है तथा जप्तशुदा माल का वजन पंचनामा प्रदर्श पी-4, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी शंकर, हरिराम, जानकी, दौलत के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था।

14- उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने दिनांक-27.11.2011 को दोनों आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने साक्षीगण के समक्ष मेमोरेण्डम कथन नहीं दिये थे और उनके सामने जप्ती कार्यवाही भी नहीं की गई। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को अभियोजन मामले के अनुरूप अपने कथन में प्रकट किया गया है, जिसका महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से साक्षी के प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। साक्षी के द्वारा मामले में करवायी गई पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी-3 के संदर्भ में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, जबकि जप्तशुदा सामान की पहचान करने वाले फरियादी प्रेमराज मीणा (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में उक्त पहचान कार्यवाही में दिनांक व समय गलत लिखा होना प्रकट

किया है। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता अधिकारी जैनेन्द्र उपराड़े (अ.सा.6) के प्रतिपरीक्षण में उक्त विसंगति एवं विरोधाभासी तथ्य को चुनौती न दिये जाने से बचाव पक्ष को उक्त तथ्य का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यह उल्लेखनीय है, कि फरियादी प्रेमराज मीणा (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में ने न केवल आरोपीगण को घटना के समय चोरी करते हुए देखे जाने का तथ्य पेश किया है, बल्कि यह भी प्रकट किया है कि जप्तशुदा सामान की पहचान कार्यवाही पुलिस की अनुपस्थिति में साक्षीगण के सामने करवायी गई थी। इस प्रकार मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को अभियोजन ने संदेह से परे प्रमाणित किया है।

15— अभियोजन मामले के अनुसार आरोपी सुमेरसिंह के विरुद्ध उक्त चोरी के संबंध में फरियादी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की है तथा फरियादी ने सुमेरसिंह के द्वारा अन्य व्यक्ति की मदद से उक्त चोरी किये जाने का तथ्य रिपोर्ट में उल्लेख कराया है। फरियादी प्रेमराज मीणा (आ.सा.1) की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि घटना के समय मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट के स्क्रेप यार्ड से उपरोक्त सामान चोरी हुआ था और उक्त चोरी के समय आरोपीगण गाड़ी लेकर फरार हो गये थे। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि उक्त चोरी के पश्चात् जप्तशुदा सामान की उसके द्वारा पहचान की गई। साक्षी के कथन से यह प्रमाणित है कि आरोपीगण के द्वारा मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट के स्क्रेप यार्ड से उपरोक्त सामान चोरी किया गया था। जप्ती अधिकारी जैनेन्द्र उपराड़े (अ.सा.6) की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उसने आरोपीगण के आधिपत्य से उक्त चोरी किया गया सामान जप्त किया था। मामले में आरोपीगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट होने और मौके पर ही उनसे चोरी गये सामान की जप्ती किये जाने से तैयार मेमोरेण्डम कार्यवाही का अधिक महत्व नहीं रह जाता, इस कारण मेमोरेण्डम कार्यवाही के साक्षीगण के द्वारा कार्यवाही का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन मामला प्रभावित नहीं होता है।

16— आरोपीगण की ओर यह तर्क पेश किया गया है कि जप्तशुदा सामान की पहचान एवं वजन का पंचनामा विलंब से तैयार किया गया है, किन्तु मात्र उक्त तथ्य के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। आरोपीगण बचाव में यह तथ्य नहीं पेश कर पाये हैं कि जप्तशुदा सामान उनके आधिपत्य में किस प्रकार आया। इस कारण आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-114 के अंतर्गत यह उपधारणा की जा सकती है कि चोरी के पश्चात् आरोपीगण के आधिपत्य में पाया गया सामान चोरी का था और उन्होंने चोरी की थी। मामले में अनुसंधानकर्ता व जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही भी संदेह से परे प्रमाणित है। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन मामले में ऐसी संदेहास्पद परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं की गई हैं जिनका आरोपीगण को लाभ प्राप्त हो सके।

17— पुलिस अधिकारी के द्वारा जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही को मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि कार्यवाही पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई। पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य

की तरह ही ग्राह्य किया जाना चाहिए। जहाँ पुलिस अधिकारी के द्वारा ईमानदारी एवं निष्पक्षतापूर्ण कार्यवाही की गई हो और उसका समर्थन अन्य स्वतंत्र साक्षी के द्वारा किया गया हो वहाँ महत्वपूर्ण विरोधाभास या लोप के अभाव में अभियोजन मामले में संदेह की कोई गुंजाईश नहीं रह जाती है। अभियोजन ने आरोपीगण द्वारा मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट के स्क्रेप यार्ड के सुरक्षा पर्यवेक्षक फरियादी प्रेमराज मीणा के आधिपत्य से लोहे के स्क्रेप के सामान को चोरी किये जाने एवं उक्त सामान को आरोपीगण से विधिवत् जप्त करने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

18— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में माईन्स ताम्र परियोजना स्क्रेप यार्ड थाना मलाजखंड अंतर्गत एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में ताम्र परियोजना मलाजखंड का डाटा सायल, सॉकेट वाल पाईप, डोजर टोपी, चैन स्लेट, पानी पाईप बड़े-छोटे, डोजर मशीन प्लेट एवं रूल पट्टी तथा अन्य लोहा सामान एवं एक नग पाईप मोटा एक फीट गोलाई, लम्बाई करीब सात फीट, जुमला करीब चार से पांच क्विंटल वजनी, कीमती 9 से 10 हजार रुपये को पिकअप वाहन में डालकर, ताम्र परियोजना मलाजखंड की सम्मति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

19— आरोपीगण को अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर पश्चात् पेश हो।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

पश्चात्:-

20— आरोपीगण ने निवेदन किया कि उनका यह प्रथम अपराध है और वे प्रकरण में वर्ष 2011 से विचारण का सामना कर रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

21— आरोपीगण ने पूर्व सुनियोजित तरीके से फरियादी के आधिपत्य से लोहे के स्क्रेप के कीमती सामान की चोरी का अपराध कारित किया है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। आरोपीगण के द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति एवं मामले की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति होना संभव नहीं है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379/34 के अंतर्गत 1 वर्ष (एक वर्ष) के कठोर कारावास एवं 500/- (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम

होने की दशा में प्रत्येक आरोपी को एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

22— आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23— आरोपीगण के द्वारा प्रकरण में दिनांक-28.11.2011 से 30.11.2011 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, उक्त व्यतीत की गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को मूल कारावास की अवधि में से समायोजित की जावे। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

24— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप वाहन सी.जी. 04/जे.बी. 1976 को सुपुर्ददार दौलत वर्मा पिता हरिशंकर वर्मा निवासी मलाजखंड जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया। अतएव सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में माना जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। शेष जप्तशुदा सम्पत्ति डाटा सायल, सॉकेट वाल पाईप, डोजर टोपी, चैन स्लेट, पानी पाईप बड़े-छोटे, डोजर मशीन प्लेट एवं रूल पट्टी तथा अन्य लोहा सामान एवं एक नग पाईप मोटा एक फीट गोलाई, लम्बाई करीब सात फीट, जुमला करीब चार से पांच क्विंटल वजनी उसके स्वामी ताम्र परियोजना मलाजखंड को अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट